सेवामें,
श्रीमान् रजिस्ट्रार संस्थाएं,
जयपुर।

विषय : संस्था पंजीकरण हेतु।

महोदय,

निवेदन है कि हम आवेदकगण जिनका विवरण संलग्न संघ विधान पत्र में अंकित है. डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी–कर्मचारी एसोसिएशन, राजस्थान के नाम से राजस्थान सहकारी संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के तहत संस्था पंजीकृत करवाने के इच्छुक हैं।
कृपया हमारी संस्था का पंजीयन करने का आदेश प्रदान कर अनुगृहित करें।

संलग्नः संघ विधान–पत्र तथा विधान (नियमावली)

भवदीय,

(अध्यक्ष / महासचिव)

समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था
संघ विधान–पत्र

1. **संस्था का नाम** : इस संस्था का नाम डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी–कर्मचारी एसोसिएशन, राजस्थान है व जिसे संक्षिप्ततः ''अजाअक'(AJAK) के नाम से भी जाना जावेगा।
2. **पंजीकृत कार्यालयः** इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय 220, श्री गोपाल नगर, महेश नगर के पास जयपुर है तथा इसका कार्यक्षेत्र सर्म्पूण राजस्थान होगा।
3. **संस्था के उद्देश्यः–** इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है :–

---

1. भारत रत्न डॉ. भीम राव अम्बेडकर के विचारों, दर्शन एवं कार्यों का व्यापक प्रचार–प्रसार करना।
2. अनुसूचित जाति के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा संबंधी–मामलों के विधि सम्मत निपटाने हेतु राज्य व केन्द्र सरकार के संस्थानों से सम्पर्क स्थापित कर समस्याओं के निदान हेतु कार्यवाही कराने हेतु कानूनी व प्रशासनिक सलाह देना व इसके लिए आवश्यक प्रयास करना।
3. राज्य शासन, शासन के सार्वजनिक उपक्रमों, अर्द्ध शासकीय संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों आदि की, सेंवाओं चाहे ऐसी सेवाऐं स्थायी अथवा अस्थायी प्रकृति की हों, में आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत की पूर्ति की स्थिति पर निगरानी रखते हुए निर्धारित प्रतिशत हेतु संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक कार्यवाही करना।
4. अनुसूचित जाति के राजकीय सेवा में सेवारत एवं गैर–सेवारत समुदाय के लोगों(नौकरीपेशा लोगों के अलावा) के आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान हेतु आवश्यक प्रयास करना ।
5. अनुसूचित जाति समाज में व्याप्त कुरुतियों को दूर करना एवं समाज को शिक्षित एवं जागृत करना।
6. अनुसूचित जाति के बीच एकता, भाईचारा एवं परस्पर सहयोग की भावना पैदा करते हुए उसे सुदृढ़ करना।
7. अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु बनाई गई विभिन्न नीतियों, योजनाओं व कानूनों का क्रियान्वयन सुनिशिचित कराना एवं समय–समय पर इनके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मूल्याकंन, अध्ययन कराना तथा ऐसे कानून व नीतियां बनाये जाने के लिए जनमत जागृत करना जो कि अनुसूचित जाति के सर्वांगिण विकास, कल्याण हेतु आवश्यक प्रतीत हो।
8. अनुसूचित जाति के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक उत्थान हेतु शोध कराना एवं शोध के प्रयोजनार्थ आवश्यक आंकड़े एवं सूचनाएं संकलित करना और शोध के परिणामों को प्रकाशित करना।
9. अनुसूचित जाति के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशा, दिशा और कल्याण से सम्बन्धित पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित करना।
10. भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति के लिए प्रावधानित आरक्षण की सुविधा सम्बंधी प्रावधान को स्थाई प्रावधान बनाने के लिए प्रजातांत्रिक एवं विधिसम्मत तरीकों से प्रयत्न करना।
11. संस्था के उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सम्भाग, जिला, तहसील, एवं ग्राम पंचायत स्तर पर शाखाएं गठित करना।
12. उपर्युक्त समस्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं से सहयोग, चन्दा/अंशदान एकत्रित करना, शासन से अनुदान, ऋण, सहायता प्राप्त करना, विदेशी सहायता प्राप्त करना एवं अन्य आर्थिक साधन जुटाना/प्राप्त करना एवं अन्य आवश्यक अनुषांगिक कार्यवाहियां करना।

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष **महासचिव** **कोषाध्यक्ष**

1. संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :–

क.स.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	प्रो0 श्याम लाल	शिक्षाविद (सेवानिवृत कुलपति)	742 सी, लेन नं0 6, देवी नगर, न्यू सांगानेर रोड़, सोडाला, जयपुर	अध्यक्ष
2.	श्री आर0पी0 सिंह	आई.पी.एस. (सेवानिवृत)	73, अरविन्द नगर, सीबीआई कॉलोनी, जगतपुरा, जयपुर–17	वरिष्ठ उपाध्यक्ष
3.	श्री श्रीराम चौरडिया	आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)	11/26, कावेरी पथ, मानसरोवर, जयपुर	उपाध्यक्ष
4.	श्री बी0 एल0 नवल	आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)	72, गिरनार कॉलोनी, साउथ, गांधी पथ, वैशाली नगर, जयपुर	उपाध्यक्ष
5.	श्री नन्नूमल पहाडिया	आई.ए.एस.	220,श्री गोपाल नगर, महेश नगर के पास जयपुर	महासचिव
6.	श्री जी0 एल0 राव	राजकीय सेवा	53/21,सरयु मार्ग, मानसरोवर,जयपुर	सचिव
7.	श्री राकेश रमन	वरिष्ठ लेखाधिकारी (सेवा निवृत्त)	सी–250, महेशनगर, जयपुर	कोषाध्यक्ष
8.	डॉ0 शेर सिंह मोरोड़िया	राजकीय सेवा	401, कटेवानगर, न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर	उपाध्यक्ष
9.	डॉ0 श्रीराम बड़कोदिया	राजकीय सेवा	75, दीप विहार, सिरसी रोड़, पांच्यावाला, वैशाली नगर, जयपुर	सचिव
10.	श्री पन्नालाल मेघवाल	राजकीय सेवा	155,पृथ्वीराज नगर,महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर	सदस्य
11.	श्री अजय असवाल	राजकीय सेवा	ए.222,अहिल्या मार्ग हनुमान नगर,, जयपुर	सचिव

अध्यक्ष महासचिव कोषाध्यक्ष

2. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं, इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं :

क्र.स.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद	हस्ताक्षर
1.	प्रो0 श्याम लाल	शिक्षाविद (सेवानिवृत कुलपति)	742 सी, लेन नं0 6, देवी नगर, न्यू सांगानेर रोड़, सोडाला, जयपुर	अध्यक्ष	
2.	श्री आर0पी0 सिंह	आई.पी.एस. (सेवानिवृत)	73, अरविन्द नगर, सीबीआई कॉलोनी, जगतपुरा, जयपुर–17	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	
3.	श्री श्रीराम चौरडिया	आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)	11/26, कावेरी पथ, मानसरोवर, जयपुर	उपाध्यक्ष	
4.	श्री बी0 एल0 नवल	आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)	72, गिरनार कॉलोनी, साउथ, गांधी पथ, वैशाली नगर, जयपुर	उपाध्यक्ष	
5.	श्री नन्नूमल पहाडिया	आई.ए.एस.	220,श्री गोपाल नगर, महेश नगर के पास जयपुर	महासचिव	
6.	श्री जी0 एल0 राव	राजकीय सेवा	53/21,सरयु मार्ग, मानसरोवर,जयपुर	सचिव	
7.	श्री राकेश रमन	वरिष्ठ लेखाधिकारी (सेवा निवृत्त)	सी–250, महेश नगर, जयपुर	कोषाध्यक्ष	
8.	डॉ0 शेर सिंह मोरोड़िया	राजकीय सेवा	401, कटेवानगर, न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर	उपाध्यक्ष	
9.	डॉ0 श्रीराम बड़कोदिया	राजकीय सेवा	75, दीप विहार, सिरसी रोड़, पांच्यावाला, वैशाली नगर, जयपुर	सचिव	
10.	श्री पन्नालाल मेघवाल	राजकीय सेवा	155, पृथ्वीराज नगर, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर	सदस्य	
11.	श्री अजय असवाल	राजकीय सेवा	ए.222,अहिल्या मार्ग हनुमान नगर,, जयपुर	सचिव	

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होने हमारे समक्ष अपने–अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं है।

(साक्षी)

1. हस्ताक्षर

(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

(साक्षी)

2. हस्ताक्षर

(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

अध्यक्ष महासचिव कोषाध्यक्ष

डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी–कर्मचारी एसोसिएशन, राजस्थान समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था विधान (नियमावली)

1. **संस्था का नाम** : इस संस्था का नाम डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी–कर्मचारी एसोसिएशन, राजस्थान है व जिसे संक्षिप्ततः ''अजाक''(AJAK) के नाम से भी जाना जावेगा।
2. **पंजीकृत कार्यालयः** इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय 220, श्री गोपाल नगर, महेश नगर के पास जयपुर है तथा इसका कार्यक्षेत्र सर्म्पूण राजस्थान होगा।
3. **परिभाषाएं :** इस विधान में –
   ''संस्था'' से तात्पर्य डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी–कर्मचारी एसोसिएशन, राजस्थान है।
   ''विधान'' से तात्पर्य इस संस्था के विधान (नियमावली) है।
   ''समिति'' से तात्पर्य इस संस्था की राज्यस्तरीय कार्यकारी समिति है।
   ''पंजीयक (रजिस्ट्रार)'' से तात्पर्य सहकारी संस्थाओं के पंजीयक (रजिस्ट्रार), जयपुर से है।
   ''अधिनियम (एक्ट)'' से तात्पर्य राजस्थान सहकारी संस्थाओं का पंजीयन अधिनियम से है।
4. **संस्था के उद्देश्यः** इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :–

I. भारत रत्न डॉ. भीम राव अम्बेडकर के विचारों, दर्शन एवं कार्यों का व्यापक प्रचार–प्रसार करना।

II. अनुसूचित जाति के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा संबंधी–मामलों के विधि सम्मत निपटाने हेतु राज्य व केन्द्र सरकार के संस्थानों से सम्पर्क स्थापित कर समस्याओं के निदान हेतु कार्यवाही कराने हेतु कानूनी व प्रशासनिक सलाह देना व इसके लिए आवश्यक प्रयास करना।

III. राज्य शासन, शासन के सार्वजनिक उपक्रमों, अर्द्ध शासकीय संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों आदि की, सेंवाओं चाहे ऐसी सेवाऐं स्थायी अथवा अस्थायी प्रकृति की हों, में आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत की पूर्ति की स्थिति पर निगरानी रखते हुए निर्धारित प्रतिशत हेतु संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक कार्यवाही करना।

IV. अनुसूचित जाति के राजकीय सेवा में सेवारत एवं गैर–सेवारत समुदाय के लोगों(नौकरीपेशा लोगों के अलावा) के आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान हेतु आवश्यक प्रयास करना ।

V. अनुसूचित जाति समाज में व्याप्त कुरुतियों को दूर करना एवं समाज को शिक्षित एवं जागृत करना।

VI. अनुसूचित जाति के लोगों के बीच एकता, भाईचारा एवं परस्पर सहयोग की भावना पैदा करते हुए उसे सुदृढ़ करना।

VII. अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु बनाई गई विभिन्न नीतियों, योजनाओं व कानूनों का क्रियान्वयन सुनिशिचित कराना एवं समय–समय पर इनके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मूल्याकंन, अध्ययन कराना तथा ऐसे कानून व नीतियां बनाये जाने के लिए जनमत जागृत करना जो कि अनुसूचित जाति के सर्वांगिण विकास, कल्याण हेतु आवश्यक प्रतीत हो।

VIII. अनुसूचित जाति के लोगों के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक उत्थान हेतु शोध कराना एवं शोध के प्रयोजनार्थ आवश्यक आंकड़े एवं सूचनाएं संकलित करना और शोध के परिणामों को प्रकाशित करना।

IX. अनुसूचित जाति के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशा, दिशा और कल्याण से सम्बन्धित पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित करना।

X. भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति के लिए प्रावधानित आरक्षण की सुविधा सम्बंधी प्रावधान को स्थाई प्रावधान बनाने के लिए प्रजातांत्रिक एवं विधिसम्मत तरीकों से प्रयत्न करना।

XI. संस्था के उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सम्भाग, जिला, तहसील, एवं ग्राम पंचायत स्तर पर शाखाएं गठित करना।

XII. उपर्युक्त समस्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं से सहयोग, चन्दा/अंशदान एकत्रित करना, शासन से अनुदान, ऋण, सहायता प्राप्त करना, विदेशी सहायता प्राप्त करना एवं अन्य आर्थिक साधन जुटाना/प्राप्त करना एवं अन्य आवश्यक अनुषांगिक कार्यवाहियां करना।

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष **महासचिव** **कोषाध्यक्ष**

5. **संस्था का संगठनात्मक ढांचा**–

संस्था की निम्नानुसार शाखाएं स्थापित की जायेगी –

I. राज्य स्तर पर
II. जिला स्तर पर
III. तहसील स्तर पर
IV. ग्राम पंचायत स्तर पर

प्रत्येक स्तर पर राज्य कार्यकारी समिति के समान एक कार्यकारी समिति का गठन किया जावेगा। संस्था की जिला, तहसील एवं ग्राम स्तर की शाखाओं पर राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति का सम्पूर्ण नियंत्रण होगा। तहसील, एवं ग्राम स्तर की शाखाएं, जिला शाखा के नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में कार्य करेंगी। संस्था की राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति अपनी बैठक में बहुमत से प्रस्ताव पारित करके जिला शाखाओं के स्वरूप के संबंध में आवश्यक परिवर्तन कर सकेगी।

6. **सदस्यता :**

(अ) सदस्यों की योग्यता: संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति में निम्नलिखित **समस्त** योग्यताएं होना आवश्यक है:–

(क) जो अनुसूचित जाति का सेवारत, अथवा सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी हो,

(ख) जो राजस्थान में पदस्थापित राजस्थान सरकार अथवा भारत सरकार के अधीन अधिकारी/कर्मचारी हो अथवा किसी शासकीय नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रम का अथवा अर्द्ध–शासकीय संस्था का अथवा किसी स्थानीय निकाय का अथवा किसी सहकारी संस्था या सहकारी बैंक का भोगी अधिकारी या कर्मचारी हो।

(ग) जिसने समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो,

(घ) जो संस्था द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता की अनुपालना करता हो,

(ब) संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होगें :–

(1) **संरक्षक सदस्य**: संस्था को जो सदस्य अंशदान/शुल्क के रूप में न्यूनतम रूपये 5100/–एक मुश्त देगा, वह संस्था का संरक्षक सदस्य होगा।

(2) **साधारण सदस्य**: जो सदस्य संस्था को सदस्यता शुल्क के रूप में 1000/– देगा, वह संस्था का साधारण सदस्य होगा।

(3) **मानद सदस्य**: संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को जो कि समाज के समग्र विकास की दिशा में सकारात्मक योगदान दे रहे हों, उस समय के लिए जो भी वह उचित समझे मानद सदस्य बना सकती है। ऐसे सदस्य को आवश्यकतानुसार संस्था द्वारा आमंत्रित किया जा सकेगा परन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(4) **वार्षिक शुल्क :** प्रत्येक संरक्षक एवं साधारण सदस्य को प्रतिवर्ष न्यूनतम 500/– वार्षिक शुल्क जमा कराना अनिवार्य होगा। राज्य कार्यकारी समिति वार्षिक शुल्क की राशि को समय–समय पर बढ़ा सकेगी और इसे जमा कराने की प्रक्रिया/विधि तय कर सकेगी।

(5) प्रत्येक सदस्य को अनुशासित रहते हुए संस्था का कार्य करना है, जिससे बाहरी वातावरण में संगठन की छवि धूमिल न हो बल्कि अपनी समस्याओं को शांति व भाईचारा में रहकर अनुशासित ढंग से प्रस्तुत करनी है। संस्था के विरूद्ध सदस्यों द्वारा अनुशासनहीन तरीके से पेश आने पर प्राथमिक सदस्यता से निलम्बित/निष्काषित करने हेतु राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति का अध्यक्ष अधिकृत होगा।

(स) सदस्यता की प्राप्ति: प्रत्येक व्यक्ति को जो कि संस्था सदस्य बनने का इच्छुक हो, उसे लिखित रूप में आवेदन राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति को प्रस्तुत करना होगा जिसे अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति को होगा।

अध्यक्ष **महासचिव** **कोषाध्यक्ष**

(द) सदस्यता की समाप्तिः संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जाएगीः–

1. मृत्यु हो जाने पर 2. पागल होने पर। 3 संस्था को देय वार्षिक शुल्क की राशि तीन वर्ष तक जमा न करने पर। 4. त्याग पत्र देने एवं उसके स्वीकार हो जाने पर। 5. किसी राजनैतिक दल की सदस्यता ग्रहण करने पर। 6. ग्रामीण/शहरी निकायों, विधानसभा एवं संसद के सदस्य के रूप में नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने एवं चुनाव लड़ने पर। 07य किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता के दुराचरण का सिद्ध दोष होने पर और, 7. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर।8. संस्था द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किये जाने पर।9. राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के निर्णय अनुसार संस्था की सदस्यता से निष्कासित कर दिये जाने पर। ऐसा निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित में देनी होगी।

7. **सदस्यता शुल्क का वितरणः** –जिला शाखा से प्राप्त सदस्यता शुल्क की पूर्ण राशि राज्य कार्यालय में जमा करायी जावेगी। राज्य कार्यालय द्वारा उपर्युक्त राशि में से आवश्यकतानुसार राशि को निर्वाचन एवं अन्य खर्चों की पूर्ति हेतु जिला शाखा को प्रदान की जाएगी। राज्य कार्यालय के द्वारा संकलित राशि का 25 प्रतिशत जिला शाखा के कार्यालयों की पूर्ति हेतु उनके बैंक खाते में जिलाध्यक्ष को प्रदान की जाएगी। उक्त राशि के प्रतिशत में संशोधन करने का अधिकार राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति को होगा।
8. **सदस्य पंजिका :** संस्था के कार्यालय में सदस्य पंजिका रखी जायेगी तथा उसमें निम्नांकित ब्यौरे दर्ज किये जायेगें – प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा विभाग का नाम, सम्पर्क नम्बर, ई–मेल आईडी, सदस्यता प्राप्ति एवं समाप्ति दिनांक तथा रसीद नम्बर ।
9. **(अ) साधारण सभाः** साधारण सभा में संरक्षक एवं साधारण सदस्य समावेशित होगें। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार होगी परन्तु दो वर्ष में बैठक एक बार अनिवार्य होगी। संस्था के गठन के एक वर्ष की अवधि में राज्य कार्यकारी समिति के पदाधिकारियों का निर्वाचन कराया जाना आवश्यक होगाा ।
पश्चातवर्ती राज्य कार्यकारी समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा जिसे विशेष परिस्थितियों में राज्य कार्यकारी समिति द्वारा बहुमत से अधिकतम एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा लेकिन इस बढ़ी हुई अवधि में कार्यकारी समिति के चुनाव कराना अनिवार्य होगा। इस बढ़ी हुई अवधि में राज्य कार्यकारी समिति के चुनाव नहीं कराने की दशा में राज्य कार्यकारी समिति स्वतः भंग समझी जावेगी। बैठक का माह, तारीख, स्थान व समय राज्य कार्यकारी समिति निश्चित करेगी, जिसकी सूचना 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी।

बैठक का कोरम 1/3 सदस्यों का होगा। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घण्टे के लिए स्थगित कर उपस्थिति सदस्यों की उपस्थिति में उसी स्थान पर पुनः की जा सकेगी।

संस्था की साधारण सभा की प्रथम बैठक संस्था के पंजीयन की दिनांक से छः माह के भीतर बुलाई जाएगी।

(ब) राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक प्रत्येक 6 माह में होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारी समिति के प्रत्येक सदस्य को भेजी जानी आवश्यक होगी। बैठक का कोरम 1/3 सदस्यों का होगा। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घण्टे के लिए स्थगित कर उपस्थिति सदस्यों की उपस्थिति में उसी स्थान पर पुनः की जा सकेगी।

(स) विशेषः यदि कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन किया जाने पर उनके दर्शाये गये विषय पर विचार करने के लिए सभा की बैठक बुलाई जावेगी। विशेष संकल्प पारित होने पर संकल्प की प्रति, पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 14 दिन के भीतर भेजी जावेगी। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी रखने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

अध्यक्ष **महासचिव** **कोषाध्यक्ष**

10. कार्यकारी समिति के अधिकार एवं कर्तव्यः

(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक वितरण, प्रगति प्रगतिवेदन स्वीकृत करना व आगामी वर्ष की कार्ययोजना की स्वीकृति देना।
(ख) संस्था की स्थाई निधि व संपति की उचित व्यवस्था करना।
(ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।
(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो कार्यकारी समिति द्वारा प्रस्तुत हों।
(च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय–व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।

(अ) राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति :

इस समिति में निम्नांकित पदाधिकारियों तथा कार्यकारी समिति के सदस्यों का निर्वाचन/मनोनयन होगाः–

1. अध्यक्ष– एक
2. वरिष्ठ उपाध्यक्ष – एक
3. उपाध्यक्ष– सात
4. महासचिव–एक
5. सचिव–सात
6. संयुक्त सचिव–सात
7. कोषाध्यक्ष–एक
8. प्रवक्ता – एक
9. सदस्य–45 (जिला स्तरीय समिति का अध्यक्ष पदेन सदस्य सहित)

राज्यस्तरीय कार्यकारी समिति में अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव एवं कोषाध्यक्ष के पद निर्वाचन से भरे जावेंगें तथा शेष पदों पर अध्यक्ष द्वारा निर्वाचित सदस्यों के परामर्श से मनोनयन किया जाएगा। निर्वाचन हेतु स्थान का चयन राज्य कार्यकारी समिति द्वारा सुविधानुसार निश्चित किया जावेगा।

(ब) जिला स्तरीय कार्यकारिणीः

संबंधित जिले के सदस्यों जिनके नाम उस जिले की पंजीयन रजिस्टर में दर्ज हो, में से, इस समिति में निम्नांकित पदाधिकारियों तथा कार्यकारी समिति के सदस्यों को निर्वाचन/मनोनयन किया जायेगाः–

1. अध्यक्ष–01
2. उपाध्यक्ष–01
3. महासचिव–01
4. सचिव–03 (अधिकतम – तहसीलों की संख्या तक)
5. संयुक्त सचिव–3 (अधिकतम– तहसीलों की संख्या तक)
6. कोषाध्यक्ष–01
7. प्रवक्ता–01
8. सदस्य–30, (तहसील स्तरीय समिति का अध्यक्ष पदेन सदस्य सहित)

राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा निर्वाचित सदस्यों के परामर्श से संस्था की जिला इकाई के जिलाध्यक्षों एवं महासचिवों का मनोनयन किया जाएगा तथा जिलाध्यक्ष द्वारा अन्य पदाधिकारियों का मनोनयन किया जावेगा।

(स) तहसील स्तरीय कार्यकारिणीः

इस समिति में निम्नांकित पदाधिकारियों तथा कार्यकारी समिति के सदस्यों का निर्वाचन/मनोनयन होगाः–

1. अध्यक्ष–01
2. उपाध्यक्ष–01
3. महासचिव–01
4. सचिव–03
5. संयुक्त सचिव–03
6. कोषाध्यक्ष–01
7. प्रवक्ता–01
8. सदस्य–20, प्रत्येक ग्राम स्तरीय समिति का अध्यक्ष पदेन सदस्य

संस्था की जिला इकाई के जिलाध्यक्ष द्वारा महासचिव के परामर्श से तहसील इकाई के अध्यक्ष एवं महासचिव का मनोनयन किया जावेगा और संस्था की तहसील इकाई के अध्यक्ष द्वारा महासचिव के परामर्श से अन्य पदाधिकारियों का मनोनयन किया जावेगा।

अध्यक्ष **महासचिव** **कोषाध्यक्ष**

(द)ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यकारिणीः

1. अध्यक्ष–01,
2. उपाध्यक्ष–1
3. महासचिव–01
4. सचिव–1
5. संयुक्त सचिव–1
6. कोषाध्यक्ष–01
7. प्रवक्ता–01
8. सदस्य– 10

संस्था की तहसील इकाई के अध्यक्ष द्वारा महासचिव के परामर्श से ग्राम पंचायत इकाई के अध्यक्ष एवं महासचिव का मनोनयन किया जावेगा और संस्था की ग्राम पंचायत स्तरीय इकाई के अध्यक्ष द्वारा महासचिव के परामर्श से अन्य पदाधिकारियों का मनोनयन किया जावेगा।

(य) निर्वाचन प्रक्रिया :

I. राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति संस्था/समितियों के विभिन्न पदों पर पदाधिकारियों के निर्वाचन की प्रक्रिया निश्चित करेगी।

II. राज्य कार्यकारी समिति सम्पूर्ण राज्य में, जिला स्तरीय इकाई सम्पर्ण जिले में,तहसील स्तरीय इकाई सम्पर्ण तहसील में और ग्राम पंचायत स्तरीय इकाई सम्पूर्ण पंचायत क्षेत्र में किसी भी स्थान पर मनोनयन की कार्यवाही करने हेतु अधिकृत होगी।

III. जिला स्तरीय, तहसील स्तरीय एवं ग्राम पंचायत स्तरीय सभी इकाईयों का कार्यकाल राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा निर्वाचित/मनोनीत पदाधिकारी का पद रिक्त होने पर अध्यक्ष द्वारा शेष अवधि के लिए मनोनयन किया जावेगा।

IV. राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के पदाधिकारियों द्वारा प्रथम बैठक से पूर्व निर्धारित प्रपत्र में शपथ ग्रहण की जावेगी।

V. नियमित रूप से प्रतिवर्ष वार्षिक शुल्क जमा नहीं कराने वाले सदस्य को न तो मताधिकार प्राप्त होगा और न ही वह किसी पदाधिकारी के पद पर निर्वाचन/मनोनयन हेतु पात्र होगा।

11. विभागीय प्रकोष्ठों का गठनः

1. **राज्य स्तरीय विभागीय प्रकोष्ठः** राज्य स्तर पर विभिन्न प्रकोष्ठों का गठन किया जावेगा जिसमें मुख्यतः सफाई कर्मचारी प्रकोष्ठ, चिकित्सा प्रकोष्ठ, अभियंता प्रकोष्ठ, राजस्व प्रकोष्ठ, वाणिज्यिक कर प्रकोष्ठ, विधिक प्रकोष्ठ, इत्यादि होंगे। राज्य स्तर पर एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों में विभागीय प्रकोष्ठों का गठन राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की अनुमति से मनोनयन किया जा सकेगा।
2. **जिला/स्तरीय विभागीय समितियोंः** जिला स्तरीय विभागीय समितियों में जिला कार्यकारिणी द्वारा पदाधिकारियों का मनोनयन किया जाएगा।

12. कार्यकारी समिति अधिकार एवं कर्तव्यः

1. पिछले वर्ष का आय–व्यय का अंकेक्षित लेखा, प्रगति प्रतिवेदन के साथ साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।
2. समिति एवं इसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था की चल–अचल सम्पत्ति के उपर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।
3. कर्मचारियों की संविदा पर नियुक्ति करना व वेतन निर्धारित करना।
4. अन्य आवश्यक कार्य करना जो समय–समय पर साधारण सभा द्वारा सौंपे जावें।
5. संस्था की चल–अचल सम्पति की सुरक्षा एवं रखरखाव किया जाना।
6. संस्था की किसी भी स्थावर सम्पति का विक्रय या अन्यथा अर्जन या अंतरण करने के लिए राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की पूर्व अनुमति आवश्यक है।
7. विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किए जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा द्वारा संशोधन पारित होने पर उक्त पारित प्रस्ताव पारित को पंजीयक, सहकारी संस्था को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।
8. समय–समय पर विभिन्न विषयों पर कार्य करने के लिए उपसमितियों/प्रकोष्ठों का गठन करना।
9. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य सभी आवश्यक कार्यवाही करना।

अध्यक्ष **महासचिव** **कोषाध्यक्ष**

13. अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य:

अध्यक्ष साधारण सभा तथा राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा, तथा महासचिव द्वारा साधारण सभा तथा राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत, मत बराबर आने पर निर्णायक होगा। अध्यक्ष संस्था के उपाध्यक्षों, महासचिवों, सचिवों, संयुक्त सचिवों के बीच कार्य एवं क्षेत्र का विभाजन कर सकेगा। अध्यक्ष संस्था के कार्यों हेतु 25000/– रूपये तक व्यय करने हेतु अधिकृत होगा। संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना ।

14. वरिष्ठ उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य:

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठ उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता की जाएगी। उपाध्यक्ष द्वारा, अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किये गये मामलों में, अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग किया जा सकेगा।

15. उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य:

राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके द्वारा नामीत किये जाने पर उनके कर्तव्यों का संपादन कर सकेगा।

16. महासचिव के अधिकार एवं कर्तव्य:

I. अध्यक्ष के निर्देश अनुसार साधारण तथा कार्यकारी समिति की बैठक समय–समय पर बुलाना कार्यवाही को रिकार्ड करना व रिकार्ड रखना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हों को बैठक में प्रस्तुत करना।
II. समिति का आय व्यय का लेखा–जोखा तैयार करना एवं उसका अंकेक्षण कराना, उससे प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत करना।
III. महासचिव को समिति के उद्देश्यों हेतु प्रायोजित किसी कार्य के लिए समय में 10000/– रूपये तक व्यय करने का अधिकार होगा। संविदा कर्मचारियों के बिल प्रमाणित करना ।
IV. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति/प्राप्ति हेतु विधिक एवं प्रशासनिक कार्यवाही करना एवं सम्बन्धित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना ।
V. अध्यक्ष द्वारा समय–समय पर सौंपे गए कार्य निष्पादित करना।

17. सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य:

महासचिव के कार्यों में सहयोग करना एवं अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वाह करना।

18. संयुक्त सचिव का अधिकार एवं कर्तव्य:

महासचिव एवं सचिव के कार्यों में सहयोग करना एवं अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वाह करना।

19. कोषाध्यक्ष का अधिकार एवं कर्तव्य:

संस्था की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना, संस्था का वित्तीय प्रबंधन करना एवं वित्तीय लेखों का अंकेक्षण करवाना। दैनिक कार्यो हेतु कोषाध्यक्ष अधिकतम 5000/–पांच हजार रूपये व्यय करना, तथा अध्यक्ष, महासचिव या कार्यकारिणी द्वारा विभिन्न कार्यो हेतु स्वीकृत व्यय करना।

20. अन्य संस्थाओं से सम्बद्धता:

अनुसूचित जाति के लोगों के हितार्थ कार्य करने वाली किसी भी संस्था द्वारा आवेदन करने पर उसे राज्य कार्यकारी समिति के अनुमोदन द्वारा संस्था से सम्बद्ध किया जा सकेगा। ऐसी संस्था से रू 1000/– का सम्बद्धता शुल्क वसुल किया जाएगा। सम्बद्धता प्राप्त करने वाली संस्था को इस संस्था के उद्देश्यों को स्वीकार करना होगा। इस संस्था की राज्य कार्यकारी समिति द्वारा किसी भी संस्था की सम्बद्धता को, बिना कोई कारण बताए, निरस्त किया जा सकेगा।

21. बैंक खाता:

संस्था की समस्त निधि किसी अधिसूचित बैंक या सहकारी बैंक में रहेगी। धन का आहरण अध्यक्ष या महासचिव/महासचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा।

22. पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी:

अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक सभा होने के दिनांक से 14 दिन से भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति को सूची फाइल की जाएगी, तथा धारा 28 के अंतर्गत संस्था की परीक्षित लेखा, भेजी जायेगी।

अध्यक्ष **महासचिव** **कोषाध्यक्ष**

23. संशोधन:

संस्था के विधान मे संशोधन साधारण सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा।

24. विघटन:

संस्था का विघटन साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 मतों से किया जा सकेगा।

25. सम्पत्ति:

संस्था की चल–अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी।

26. अंकेक्षण:

संस्था के समस्त लेखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जाएगा। वार्षिक लेखे रजिस्टार संस्थाओं को प्रस्तुत करने होगें।

27. संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण:

रजिस्टार सहकारी संस्थाएं, जयपुर को संस्था के रिकॉर्ड का निरीक्षण/जाचं करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

28. पंजीयक (रजिस्ट्रार) द्वारा बैठक बुलाना:

संस्था की पंजीयक नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक आयोजित न होने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक समितियों को बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही वह बैठक में विचारार्थ विषय भी निश्चय कर सकेगा।

29. विवाद:

संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से उसे सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चय या निर्णय से दोनों पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद को निर्णय के लिए भेज सकेंगें। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार की होगा।

30. आदर्श आचार संहिता:

जिला, तहसील एवं ग्राम पंचायत स्तरीय मनोनयन प्रक्रियाओं में समय–समय पर शिकायतें/आरोप–प्रत्यारोप की जानकारी प्रादेशिक कार्यालय को प्राप्त होने पर जिला, तहसील व ग्राम पंचायत स्तरीय मनोनयन प्रक्रियाओं के अतिरिक्त विभिन्न विभागीय शाखाओं व विभिन्न प्रकोष्ठ के गठन की प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाये रखने के लिए निम्नानुसार आदर्श आचार संहिता स्थायी रूप से लागू रहेगी:–

1. अध्यक्षों व अन्य पदों पर अभ्यथियों के मनोनयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संस्था की प्राथमिक सदस्यता अनिवार्य होगी।
2. अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं को इस मनोनयन प्रक्रिया में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी।
3. संस्था की राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के पदाधिकारियों के निर्वाचन हेतु निष्पक्ष चुनाव अधिकारी का मनोनयन राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा किया जावेगा।
4. कोई भी पदाधिकारी किसी भी स्थिति में किसी एक पद पर दो बार से ज्यादा निर्वाचित एवं मनोनित नहीं किया जाएगा।
5. मानद सदस्यों को इस मनोनयन/निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी/कर्मचारी एसोसिएशन राजस्थान की सही व सच्ची प्रति है।

अध्यक्ष **महासचिव** **कोषाध्यक्ष**

डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी–कर्मचारी एसोसिएशन, राजस्थान

सदस्यता–फॉर्म

फोटो

1. नाम :.....
2. पिता/पति का नाम :.....
3. पद एवं विभाग :.....
4. जन्म तिथि :.....
5. राजकीय सेवा में नियुक्ति की दिनांक :.....
6. राजकीय सेवा से निवृत्ति की दिनांक :.....
7. गृह जिला :.....
8. पत्र–व्यवहार का पता :.....
   .....
9. ई–मेल एड्रेस :.....
10. सम्पर्क नम्बर : टेलिफोन (घर) :..... मोबाईल नं. :.....
11. आवेदित सदस्यता : संरक्षक सदस्य/साधारण सदस्य
12. सदस्यता हेतु सहयोग राशि घोषणा : .....

{संरक्षक सदस्य– 5100/रुपये (एक मुश्त), साधारण सदस्य– 1000/रुपये, प्रत्येक संरक्षक एवं साधारण सदस्य को प्रतिवर्ष न्यूनतम 500/– वार्षिक शुल्क जमा कराना अनिवार्य होगा। राज्य कार्यकारी समिति वार्षिक शुल्क की राशि को समय–समय पर बढ़ा सकेगी

घोषणा

मै यह घोषित करता हूं कि मै अनुसूचित जाति का सदस्य हूं और डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी–कर्मचारी एसोसिएशन, राजस्थान के संविधान में निष्ठा रखता हूं तथा इसकी सदस्यता प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त जानकारी एवं सहयोग राशि के साथ यह आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं।

दिनांक :

स्थान : (हस्ताक्षर एवं नाम)

डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी–कर्मचारी एसोसिएशन, राजस्थान

सदस्यता–प्रमाण पत्र

नाम.....पद.....विभाग.....को इनके स्वयं के अनुरोध पर **डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी–कर्मचारी एसोसिएशन, राजस्थान** की सदस्यता प्रदान की जाती है।

अध्यक्ष/महासचिव